

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल-2/2015/987

भोपाल, दिनांक 28/8/2015

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक,  
स्वास्थ्य सेवायें  
भोपाल/उज्जैन  
मध्यप्रदेश।

विषय – अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ – संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क. 4083 दिनांक 30.04.2015 , पत्र क. 6101 दिनांक 17.7.2015 एवं पत्र क. 4312 दि. 7.8.2015 , पत्र क. 4447 दिनांक 17.8.15 एवं पत्र क. 4424 दि. 17.8.2015

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख हैं कि आपके अधिनस्थ कार्यरत स्टॉफ नर्सों का चिकित्सा शिक्षा विभाग (मध्यप्रदेश) के अंतर्गत स्टॉफ नर्स के पद पर चयन होने के कारण प्रकरण अनापत्ति हेतु संचालनालय में भेजा गया है, एवं संबधित कर्मचारियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जो निम्नानुसार है :-

1	मोनिका पाल	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. उज्जैन
2	सीमा धुर्वे	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. उज्जैन
3	रश्मि करछले	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. राजगढ
4	अरूणा धुर्वे	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. राजगढ
5	नीतू नागले	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. राजगढ
6	पुष्पा कटारे	स्टॉफ नर्स	माधवनगर हास्पि. उज्जैन
7	ज्योति भूरिया	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. उज्जैन
8	शालिनी गौर	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. रतलाम
9	नमिता पिपले	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. उज्जैन
10	सुमन मिश्रा	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. उज्जैन
11	ज्योति पॉल	स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. शाजापुर

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अधिनस्थ नियुक्ति के संबंध में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाण पत्र निम्नानुसार शर्त के आधार पर प्रदान किया जाता है कि :-

- 1- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल इनके द्वारा चयन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है प्रमाण पत्रों का परीक्षण हेतु ।
- 2- चयन उपरांत यदि इनकी नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग (मध्यप्रदेश) के अंतर्गत होने की स्थिति में उपस्थित होने के पूर्व नियमानुसार एक माह का वेतन शासकीय कोष में जमा कर तथा सेवा से त्याग-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही यह अपने नवीन पद को ग्रहण कर सकेगी।

